भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/06/29/2016/एफ0सी0/357 T.C. 1/11/16 C.C.F A.O. 7/11/16 दिनॉक : 01-11-16

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/13615/2015)

विषयः एटा में टूण्डला–एटा मार्ग एस0एच0–31 के किमी0 26.088 की बांयी पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या–988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–2119/14–2–2016–800 (130)/2016, दिनांक– 14.10.16

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 18.04.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालन आंख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चाही गयी सूचनाओं का निराकरण करते हुए संशोधित क्षेत्रफल के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है किन्तु संशोधित प्रस्ताव के संलग्न निम्न प्रमाण पत्रों में क्षेत्रफल का संशोधन नही किया गया है–

1. वनाधिकारी अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु होने वाले व्यय सारांश में
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भूसंदर्भित मानचित्र में।
4. वन भूमि का प्रकार "वन स्वरूप भूमि" से संबंधित प्रमाण पत्र में।
5. स्थल निरिक्षण आख्या में।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र में।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में।

अतः प्रकरण में संलग्न उक्त प्रमाण पत्र एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ0 प्र0।
3. प्रभागयी प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उ0 प्र0।
4. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

31/10/16
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 976 /एटा/13615/2015, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 07, 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार निराकरण कर वांछित संशोधित अभिलेख इस कार्यालय को <u>तीन प्रतियों में</u> उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संशोधित अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक, एटा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7/XI/16
(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Q